



::आयुक्त (अपील्स) का कार्यालय, वस्तु एवं सेवा कर और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क::  
O/O THE COMMISSIONER (APPEALS), GST & CENTRAL EXCISE,

द्वितीय तल, जी एस टी भवन / 2<sup>nd</sup> Floor, GST Bhavan,  
रेस कोर्स रिंग रोड, / Race Course Ring Road,  
राजकोट / Rajkot - 360 001



सत्यमेव जयते

Tele Fax No. 0281 - 2477952/2441142 Email: commrappl3-cexamd@nic.in

रजिस्टर्ड डाक ए.डी. द्वारा :-

DIN-20221264SX0000157534

क	अपील / फाइल संख्या/ Appeal / File No.	मूल आदेश सं / OIO No.	दिनांक/ Date
	V2/94/RAJ/2022	50/AC/NS/2021-22	29-03-2022

ख अपील आदेश संख्या (Order-In-Appeal No.):

**RAJ-EXCUS-000-APP-375-2022**

आदेश का दिनांक / Date of Order:	<b>30.11.2022</b>	जारी करने की तारीख / Date of issue:	<b>02.12.2022</b>
------------------------------------	-------------------	--	-------------------

श्री शिव प्रताप सिंह, आयुक्त (अपील्स), राजकोट द्वारा पारित /

Passed by Shri Shiv Pratap Singh, Commissioner (Appeals), Rajkot.

ग अपर आयुक्त/ संयुक्त आयुक्त/ उपायुक्त/ सहायक आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क/ सेवाकर/ वस्तु एवं सेवाकर, राजकोट / जामनगर / गांधीधाम। द्वारा उपरलिखित जारी मूल आदेश से सृजित: /  
Arising out of above mentioned OIO issued by Additional/Joint/Deputy/Assistant Commissioner, Central Excise/ST / GST, Rajkot / Jamnagar / Gandhidham :

घ अपीलकर्ता & प्रतिवादी का नाम एवं पता / Name & Address of the Appellant & Respondent :-

**M/s. Vipulbhai Jasmatbhai Jodhani, Keshri Nandan, Gundala Road, Ganeshnagar, Gondal, Rajkot-360311**

इस आदेश (अपील) से व्यथित कोई व्यक्ति निम्नलिखित तरीके में उपयुक्त प्राधिकारी / प्राधिकरण के समक्ष अपील दायर कर सकता है /  
Any person aggrieved by this Order-in-Appeal may file an appeal to the appropriate authority in the following way.

(A) सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण के प्रति अपील, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 35B के अंतर्गत एवं वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 86 के अंतर्गत निम्नलिखित जगह की जा सकती है /  
Appeal to Customs, Excise & Service Tax Appellate Tribunal under Section 35B of CEA, 1944 / Under Section 86 of the Finance Act, 1994 an appeal lies to:-

(i) वर्गीकरण मूल्यांकन से सम्बन्धित सभी मामले सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण की विशेष पीठ, वेस्ट ब्लॉक नं 2, आर० के० पुरम, नई दिल्ली, को की जानी चाहिए /  
The special bench of Customs, Excise & Service Tax Appellate Tribunal of West Block No. 2, R.K. Puram, New Delhi in all matters relating to classification and valuation.

(ii) उपरोक्त परिच्छेद 1(a) में बताए गए अपीलों के अलावा शेष सभी अपीलों सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण (सिस्टेट) की पश्चिम क्षेत्रीय पीठिका, द्वितीय तल, बहुमाली भवन असारवा अहमदाबाद- 380016 को की जानी चाहिए /  
To the West regional bench of Customs, Excise & Service Tax Appellate Tribunal (CESTAT) at, 2<sup>nd</sup> Floor, Bhaumali Bhawan, Asarwa Ahmedabad-380016 in case of appeals other than as mentioned in para- 1(a) above

(iii) अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष अपील प्रस्तुत करने के लिए केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (अपील) नियमावली, 2001, के नियम 6 के अंतर्गत निर्धारित किए गये प्रपत्र EA-3 को चार प्रतियों में दर्ज किया जाना चाहिए। इनमें से कम से कम एक प्रति के साथ, जहां उत्पाद शुल्क की मांग, ब्याज की मांग और लगाया गया जुर्माना, रुपये 5 लाख या उससे कम, 5 लाख रुपए या 50 लाख रुपए तक अथवा 50 लाख रुपए से अधिक है तो क्रमशः 1,000/- रुपये, 5,000/- रुपये अथवा 10,000/- रुपये का निर्धारित जमा शुल्क की प्रति संलग्न करें। निर्धारित शुल्क का भुगतान, संबंधित अपीलीय न्यायाधिकरण की शाखा के सहायक रजिस्टार के नाम से किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक द्वारा जारी रेखांकित बैंक ड्राफ्ट द्वारा किया जाना चाहिए। संबंधित ड्राफ्ट का भुगतान, बैंक की उस शाखा में होना चाहिए जहां संबंधित अपीलीय न्यायाधिकरण की शाखा स्थित है। स्थगन आदेश (स्टे ऑर्डर) के लिए आवेदन-पत्र के साथ 500/- रुपए का निर्धारित शुल्क जमा करना होगा /

The appeal to the Appellate Tribunal shall be filed in quadruplicate in form EA-3 / as prescribed under Rule 6 of Central Excise (Appeal) Rules, 2001 and shall be accompanied against one which at least should be accompanied by a fee of Rs. 1,000/-, Rs.5000/-, Rs.10,000/- where amount of duty demanded/interest/penalty/refund is upto 5 Lac., 5 Lac to 50 Lac and above 50 Lac respectively in the form of crossed bank draft in favour of Asst. Registrar of branch of any nominated public sector bank of the place where the bench of the Tribunal is situated. Application made for grant of stay shall be accompanied by a fee of Rs. 500/-.

(B) अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष अपील, वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 86(1) के अंतर्गत सेवाकर नियमवाली, 1994 के नियम 9(1) के तहत निर्धारित प्रपत्र S.T.-5 में चार प्रतियों में की जा सकेगी एवं उसके साथ जिस आदेश के विरुद्ध अपील की गयी हो, उसकी प्रति साथ में संलग्न करें (उनमें से एक प्रति प्रमाणित होनी चाहिए) और इनमें से कम से कम एक प्रति के साथ, जहां सेवाकर की मांग, ब्याज की मांग और लगाया गया जुर्माना, रुपये 5 लाख या उससे कम, 5 लाख रुपए या 50 लाख रुपए तक अथवा 50 लाख रुपए से अधिक है तो क्रमशः 1,000/- रुपये, 5,000/- रुपये अथवा 10,000/- रुपये का निर्धारित जमा शुल्क की प्रति संलग्न करें। निर्धारित शुल्क का भुगतान, संबंधित अपीलीय न्यायाधिकरण की शाखा के सहायक रजिस्टार के नाम से किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक द्वारा जारी रेखांकित बैंक ड्राफ्ट द्वारा किया जाना चाहिए। संबंधित ड्राफ्ट का भुगतान, बैंक की उस शाखा में होना चाहिए जहां संबंधित अपीलीय न्यायाधिकरण की शाखा स्थित है। स्थगन आदेश (स्टे ऑर्डर) के लिए आवेदन-पत्र के साथ 500/- रुपए का निर्धारित शुल्क जमा करना होगा /

The appeal under sub section (1) of Section 86 of the Finance Act, 1994, to the Appellate Tribunal Shall be filed in quadruplicate in Form S.T.5 as prescribed under Rule 9(1) of the Service Tax Rules, 1994, and shall be accompanied by a copy of the order appealed against (one of which shall be certified copy) and should be accompanied by a fee of Rs. 1000/- where the amount of service tax & interest demanded & penalty levied is more than five lakhs or less, Rs.5000/- where the amount of service tax & interest demanded & penalty levied is more than five lakhs but not exceeding Rs. Fifty Lakhs, Rs.10,000/- where the amount of service tax & interest demanded & penalty levied is more than fifty Lakhs rupees, in the form of crossed bank draft in favour of the Assistant Registrar of the bench of nominated Public Sector Bank of the place where the bench of Tribunal is situated. / Application made for grant of stay shall be accompanied by a fee of Rs.500/-.





- (i) वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 86 की उप-धाराओं (2) एवं (2A) के अंतर्गत दर्ज की गयी अपील, सेवाकर नियमावली, 1994, के नियम 9(2) एवं 9(2A) के तहत निर्धारित प्रपत्र S.T.-7 में की जा सकेगी एवं उसके साथ आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अथवा आयुक्त (अपील), केन्द्रीय उत्पाद शुल्क द्वारा पारित आदेश की प्रतियों संलग्न करें (उनमें से एक प्रति प्रमाणित होनी चाहिए) और आयुक्त द्वारा सहायक आयुक्त अथवा उपायुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क/ सेवाकर, को अपीलीय न्यायाधिकरण को आवेदन दर्ज करने का निर्देश देने वाले आदेश की प्रति भी साथ में संलग्न करनी होगी। /

The appeal under sub section (2) and (2A) of the section 86 the Finance Act 1994, shall be filed in For ST.7 as prescribed under Rule 9 (2) & 9(2A) of the Service Tax Rules, 1994 and shall be accompanied by a copy of order of Commissioner Central Excise or Commissioner, Central Excise (Appeals) (one of which shall be a certified copy) and copy of the order passed by the Commissioner authorizing the Assistant Commissioner or Deputy Commissioner of Central Excise/ Service Tax to file the appeal before the Appellate Tribunal.

- (ii) सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय प्राधिकरण (सेस्टेट) के प्रति अपीलों के मामले में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम 1944 की धारा 35एफ के अंतर्गत, जो की वित्तीय अधिनियम, 1994 की धारा 83 के अंतर्गत सेवाकर को भी लागू की गई है, इस आदेश के प्रति अपीलीय प्राधिकरण में अपील करते समय उत्पाद शुल्क/सेवा कर मांग के 10 प्रतिशत (10%), जब मांग एवं जुर्माना विवादित है, या जुर्माना, जब केवल जुर्माना विवादित है, का भुगतान किया जाए, बशर्त कि इस धारा के अंतर्गत जमा कि जाने वाली अपेक्षित देय राशि दस करोड़ रुपए से अधिक न हो।

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर के अंतर्गत "मांग किए गए शुल्क" में निम्न शामिल है

- (i) धारा 11 डी के अंतर्गत रकम  
(ii) सेनवेट जमा की ली गई गलत राशि  
(iii) सेनवेट जमा नियमावली के नियम 6 के अंतर्गत देय रकम

- बशर्त यह कि इस धारा के प्रावधान वित्तीय (सं 2) अधिनियम 2014 के आरंभ से पूर्व किसी अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष विचाराधीन स्थगन अर्ज़ी एवं अपील को लागू नहीं होगा। /

For an appeal to be filed before the CESTAT, under Section 35F of the Central Excise Act, 1944 which is also made applicable to Service Tax under Section 83 of the Finance Act, 1994, an appeal against this order shall lie before the Tribunal on payment of 10% of the duty demanded where duty or duty and penalty are in dispute, or penalty, where penalty alone is in dispute, provided the amount of pre-deposit payable would be subject to a ceiling of Rs. 10 Crores,

Under Central Excise and Service Tax, "Duty Demanded" shall include :

- (i) amount determined under Section 11 D;  
(ii) amount of erroneous Cenvat Credit taken;  
(iii) amount payable under Rule 6 of the Cenvat Credit Rules

- provided further that the provisions of this Section shall not apply to the stay application and appeals pending before any appellate authority prior to the commencement of the Finance (No.2) Act, 2014.

- (C) भारत सरकार को पुनरीक्षण आवेदन :  
Revision application to Government of India:

इस आदेश को पुनरीक्षणयाचिका निम्नलिखित मामलों में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1994 की धारा 35EE के प्रथमपरंतुक के अंतर्गत अवर सचिव, भारत सरकार, पुनरीक्षण आवेदन ईकाई, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, चौथी मंजिल, जीवन दीप भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001, को किया जाना चाहिए। /

A revision application lies to the Under Secretary, to the Government of India, Revision Application Unit, Ministry of Finance, Department of Revenue, 4th Floor, Jeevan Deep Building, Parliament Street, New Delhi-110001, under Section 35EE of the CEA 1944 in respect of the following case, governed by first proviso to sub-section (1) of Section-35B ibid:

- (i) यदि माल के किसी नुकसान के मामले में, जहाँ नुकसान किसी माल को किसी कारखाने से भंडार गृह के पारगमन के दौरान या किसी अन्य कारखाने या फिर किसी एक भंडार गृह से दूसरे भंडार गृह पारगमन के दौरान, या किसी भंडार गृह में या भंडारण में माल के प्रसंस्करण के दौरान, किसी कारखाने या किसी भंडार गृह में माल के नुकसान के मामले में। /  
In case of any loss of goods, where the loss occurs in transit from a factory to a warehouse or to another factory or from one warehouse to another during the course of processing of the goods in a warehouse or in storage whether in a factory or in a warehouse

- (ii) भारत के बाहर किसी राष्ट्र या क्षेत्र को निर्यात कर रहे माल के विनिर्माण में प्रयुक्त कच्चे माल पर भरी गई केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के छुट (रिबेट) के मामले में, जो भारत के बाहर किसी राष्ट्र या क्षेत्र को निर्यात की गयी है। /  
In case of rebate of duty of excise on goods exported to any country or territory outside India of on excisable material used in the manufacture of the goods which are exported to any country or territory outside India.

- (iii) यदि उत्पाद शुल्क का भुगतान किए बिना भारत के बाहर, नेपाल या भूटान को माल निर्यात किया गया है। /  
In case of goods exported outside India export to Nepal or Bhutan, without payment of duty.

- (iv) सुनिश्चित उत्पाद के उत्पादन शुल्क के भुगतान के लिए जो ड्यूटी क्रेडिट इस अधिनियम एवं इसके विभिन्न प्रावधानों के तहत मान्य की गई है और ऐसे आदेश जो आयुक्त (अपील) के द्वारा वित्त अधिनियम (नं 2), 1998 की धारा 109 के द्वारा नियत की गई तारीख अथवा समायाविधि पर या बाद में पारित किए गए हैं। /  
Credit of any duty allowed to be utilized towards payment of excise duty on final products under the provisions of this Act or the Rules made there under such order is passed by the Commissioner (Appeals) on or after, the date appointed under Sec. 109 of the Finance (No.2) Act, 1998.

- (v) उपरोक्त आवेदन की दो प्रतियां प्रपत्र संख्या EA-8 में, जो की केन्द्रीय उत्पादन शुल्क (अपील) नियमावली, 2001, के नियम 9 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट है, इस आदेश के संप्रेषण के 3 माह के अंतर्गत की जानी चाहिए। उपरोक्त आवेदन के साथ मूल आदेश व अपील आदेश की दो प्रतियां संलग्न की जानी चाहिए। साथ ही केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 35-EE के तहत निर्धारित शुल्क की अदायगी के साक्ष्य के तौर पर TR-6 की प्रति संलग्न की जानी चाहिए। /  
The above application shall be made in duplicate in Form No. EA-8 as specified under Rule, 9 of Central Excise (Appeals) Rules, 2001 within 3 months from the date on which the order sought to be appealed against is communicated and shall be accompanied by two copies each of the OIO and Order-In-Appeal. It should also be accompanied by a copy of TR-6 Challan evidencing payment of prescribed fee as prescribed under Section 35-EE of CEA, 1944, under Major Head of Account.

- (vi) पुनरीक्षण आवेदन के साथ निम्नलिखित निर्धारित शुल्क की अदायगी की जानी चाहिए। /  
जहाँ संलग्न रकम एक लाख रूपये या उससे कम हो तो रूपये 200/- का भुगतान किया जाए और यदि संलग्न रकम एक लाख रूपये से ज्यादा हो तो रूपये 1000 -/ का भुगतान किया जाए।  
The revision application shall be accompanied by a fee of Rs. 200/- where the amount involved in Rupees One Lac or less and Rs. 1000/- where the amount involved is more than Rupees One Lac.

- (D) यदि इस आदेश में कई मूल आदेशों का समावेश है तो प्रत्येक मूल आदेश के लिए शुल्क का भुगतान, उपर्युक्त दंग से किया जाना चाहिये। इस तथ्य के होते हुए भी की लिखा पढ़ा कार्य से बचने के लिए यथास्थिति अपीलीय न्यायाधिकरण को एक अपील या केन्द्रीय सरकार को एक आवेदन किया जाता है। /  
In case, if the order covers various numbers of order- in Original, fee for each O.I.O. should be paid in the aforesaid manner, notwithstanding the fact that the one appeal to the Appellant Tribunal or the one application to the Central Govt. As the case may be, is filled to avoid scriptoria work if excising Rs. 1 lakh fee of Rs. 100/- for each.

- (E) यथासंशोधित न्यायालय शुल्क अधिनियम, 1975, के अनुसूची-I के अनुसार मूल आदेश एवं स्थगन आदेश की प्रति पर निर्धारित 6.50 रुपये का न्यायालय शुल्क टिकिट लगा होना चाहिए। /  
One copy of application or O.I.O. as the case may be, and the order of the adjudicating authority shall bear a court fee stamp of Rs.6.50 as prescribed under Schedule-I in terms of the Court Fee Act, 1975, as amended.

- (F) सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण (कार्य विधि) नियमावली, 1982 में वर्णित एवं अन्य संबंधित मामलों को सम्मिलित करने वाले नियमों को और भी ध्यान आकर्षित किया जाता है। /  
Attention is also invited to the rules covering these and other related matters contained in the Customs, Excise and Service Appellate Tribunal (Procedure) Rules, 1982.

- (G) उच्च अपीलीय प्राधिकारी को अपील दाखिल करने से संबंधित व्यापक, विस्तृत और नवीनतम प्रावधानों के लिए, अपीलार्थी विभागीय वेबसाइट [www.cbec.gov.in](http://www.cbec.gov.in) को देख सकते हैं। /  
For the elaborate, detailed and latest provisions relating to filing of appeal to the higher appellate authority, the appellant may refer to the Departmental website [www.cbec.gov.in](http://www.cbec.gov.in)









5. I have carefully gone through the facts of the case, the impugned order and the submissions made in the appeal memorandum as well at the time of personal hearing. The moot question to be answered is whether the demand confirmed by the adjudicating authority is legal and proper.

6. I find that the adjudicating authority has confirmed demand without having any evidence of appellant providing taxable service. It is observed that no investigation was carried out before issuing the show cause notice. As per the impugned order, the appellant was asked to produce documents vide letter dated 22.09.2020 and the show cause notice was issued on 25.09.2020 leaving a period of just two days for the appellant to produce documents. Further, the reply submitted by the appellant through email was also not considered while passing the order. On the other hand, the appellant submitted certificate from Chartered Accountant and copies of invoices issued, ledger account and profit and loss account in support of their claim that the income earned is from job work of diamond cutting and polishing. I find that job work in relation to cut and polished diamonds and gemstones is exempted vide Sr.No.30(b) of Notification No.25/2012-ST dated 20.06.2012 which reads, as it stood at the relevant time, as under:

"30. Carrying out an intermediate production process as job work in relation to -

- (a) agriculture, printing or textile processing;
- (b) cut and polished diamonds and gemstones; or plain and studded jewellery of gold and other precious metals, falling under Chapter 71 of the Central Excise Tariff Act, 1985 (5 of 1986);
- (c) any goods on which appropriate duty is payable by the principal manufacturer; or
- (d) processes of electroplating, zinc plating, anodizing, heat treatment, powder coating, painting including spray painting or auto black, during the course of manufacture of parts of cycles or sewing machines upto an aggregate value of taxable service of the specified processes of one hundred and fifty lakh rupees in a financial year subject to the condition that such aggregate value had not exceeded one hundred and fifty lakh rupees during the preceding financial year: "

From the above, it is evident that the income earned from job work of cut and polished diamonds and gemstones is exempted from service tax. There is no evidence brought on record to prove that the income earned by the appellant is other than from job work of cut and polished diamonds and gemstones and hence taxable. Therefore, I hold that the impugned order, confirming demand of service tax and imposition of penalty, is not sustainable.

7. In view of above discussions, I set aside the impugned order and allow the appeal filed by the appellant.



*Signature*




८. अपीलकर्ता द्वारा दर्ज की गई अपील का निपटारा उपरोक्त तरीके से किया जाता है।  
8. The appeal filed by the Appellant is disposed off as above

सत्यापित / Attested



Superintendent  
Central GST (Appeals)  
Rajkot

By R.P.A.D.



(शिव प्रताप सिंह/ SHIV PRATAP SINGH)  
आयुक्त (अपील)/Commissioner (Appeals)

सेवा में, मेस्सेर्स विपुलभाई जशमतभाई जोधानी केशरी नन्दन, गुंडाला रोड, गनेशनगर, गोंडल-360 311	To M/s Vipulbhai Jashamatbhai Jodhani, Keshri Nandan, Gundala Road, Ganeshnagar, Gondal-360 311
---	--

प्रतिलिपि:-

- 1) मुख्य आयुक्त, वस्तु एवं सेवा कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, गुजरात क्षेत्र, अहमदाबाद को जानकारी हेतु।
- 2) प्रधान आयुक्त, वस्तु एवं सेवा कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, राजकोट आयुक्तालय, राजकोट को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 3) ऊप आयुक्त, वस्तु एवं सेवा कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, मंडल-II, राजकोट को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 4) गार्ड फ़ाइल।

